13/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप०। बहस अप्रपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र u/s 212 R.T. Act दि० 11/12/25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

11/12/25 पत्रावली पेश हुई। अभि० परिषद पिड़ावा ने चुनाव कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली दि० 15/01/26 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
11/12/25

15/01/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र u/s 212 RT ACT r.w. O. 39 R 1 & 2 CPC के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT r.w. O. 39 R 1 & 2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर सोचना आवश्यक है :- (अ) प्र[illegible]म मुद्दा :-

आवे० प्रार्थी द्वारा बहस [illegible] प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुन्डी तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

...रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	मूल ख0नं0 117, 118, 119, 122 व 123 का मूल खातेदारो – प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 के मध्य सहमति से खाता विभाजन हुआ था जिसका नामान्तरण सं0 234 दिनांक 31/12/1984 NTDR सुनेल द्वारा दर्ज किया गया था। सहमति विभाजन का खसरा नक्शा नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ भाग पर बना हुआ है जिसमें मूल ख0नं0 118 में उत्तरी भाग (Top part) प्रार्थी रामचन्द्र के हिस्से एवं मध्य व दक्षिणी भाग अप्रार्थीगण के हिस्से आया और इसी अनुसार 1984 से ही सभी काबिजकाश्त चले आ रहे हैं। आगे तर्क किया कि राजस्व कार्मिको ने नक्शे में तरमीम करते समय लट्ठानक्शा अनुसार तरमीम नहीं करके मूल ख0नं0 118 के उत्तरी भाग (Top) में प्रार्थी की जगह अप्रार्थी 1 के हिस्से की तरमीम कर दी जो कि विधि विरुद्ध है और दुरुस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है। अधि0 अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का पुरजोर विरोध करते हुए कथन कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण – तीनो भाईयो के मध्य सहमति बंटवारा 1984 में नहीं होकर 2002 में हुआ था। सहमति बंटवारा की नामान्तरण पंजिका के पृष्ठ भाग पर खसरा नम्बर 118 सहित अन्य खसरो का नक्शा अंकित है। मूल ख0नं0 [illegible] खसरा नक्शा के अवलोकन [illegible] है [illegible] उत्तरी भाग (Top) इन्द्रालाल को, [illegible] एवं दक्षिणी भाग (नीचे का हिस्सा) लालचंद को मिला था। इसी अनुसार लट्ठानक्शा में तरमीम है। तरमीम में कोई त्रुटि नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

बहस अध्ययन के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया / सहमति बटवारा नामा० क्र० 234 दिनांक 06/04/2002 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मूल खसरा नम्बर 118 के उत्तरी भाग पर (2) अंकित है यानी इच्छालाल, मध्य भाग में (1) यानी रामचन्द्र एवं दक्षिणी भाग में (3) अंकित है या लालचंद का हिस्सा है। पत्रावली में पेश लट्ठा नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख०न० 435/118 उत्तरी भाग में, ख०न० 118 मध्य भाग एवं ख०न० 436/118 दक्षिणी भाग में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी में ख०न० 435/118 इच्छालाल (अप्रार्थी 1) के खाते, ख०न० 118 प्रार्थी रामचन्द्र के खाते एवं ख०न० 436/118 अप्रार्थी 2 लालचन्द के खाते दर्ज है अतः स्पष्ट है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा सहमति बटवारा नामा० क्र० 234 के पृष्ठ भाग पर बने खसरा नक्शानुसार ही लट्ठा नक्शा और online map में तरमीम की है जो सही (true) है। कोई त्रुटि (error) नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। प्रार्थी का कथन है कि ख०न० 435/118 पर [illegible] समय से उसका कब्जा है जबकि अप्रार्थी 1 कथन है कि उसका कब्जा है [illegible] मौका कमिश्नर (सुनेल) की रिपोर्ट दिनांक 27/10/2025 के अनुसार अप्रार्थी 1 इच्छालाल के खाते की आराजी ख०न०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	435/118 रकबा 0.1391 हैक्टेयर में से मौके पर 0.0744 हैक्टेयर पर प्रार्थी रामचन्द्र का कब्जा है जबकि शेष रकबा 0.0647 हैक्टेयर भी पड़त पड़ी है (खाली पड़ी) है। इसी प्रकार प्रार्थी के खाते की आराजी ख०नं० 118 रकबा 0.1391 हैक्टेयर 0.0744 हैक्टेयर पर अप्रार्थी 1 इन्द्रालाल का कब्जा है जबकि शेष 0.0647 हैक्टेयर पर स्वयं प्रार्थी का कब्जा है। पटवारी रिपोर्ट में बनाये गये नक्शे के अनुसार ख०नं० 435/118 व 118 के रोड के लगता आगे वाले हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा बताया है जबकि पीछे के हिस्से पर इन्द्रालाल का कब्जा दिखाया है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 15/10/2020 के अनुसार अप्रार्थी 1 के खाते की आराजी ख०नं० 435/118 के आगे (सड़क की ओर) के भाग पर प्रार्थी रामचन्द्र कब्जा कर कच्चा मकान (कुर्सी) व बाड़ा बना रखा है और कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रार्थी ने ख०नं० 118 में मकान भी बना रखा है। राजस्व रिकार्ड एवं मौका नक्शानुसार तीनों भाईयों का मुख्य की ओर front भाग मिलना चाहिए लेकिन प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी 1 के ख०नं० 435/118 के front (रोड के लगता) भाग पर कब्जा ... ... कर ... ... प्रतीत होता है। ... ... (... ...) सहमति बटवारे ... ... जाहिर होता है। ... ... कब्जे को कानूनी शील्ड प्रदान करना न्याय के स्वाभि	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... ढ़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	अहलकार हुक्म की तामील में जारी
	सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। अतिक्रमण (कब्जे) के आधार पर प्रार्थी को स्थगन जारी करने से अतिक्रमियों को प्रोत्साहन करना होगा। राजस्थान टीनेंसी एक्ट भी अवैध कब्जेधारी को राहत दिये जाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यदि अतिक्रमी के पक्ष में स्थगन जारी किया तो अप्रार्थी रिकॉर्ड खातेदार को अधिक असुविधा होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है। (स) अपूरणीय क्षति :- हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी 1 के खाते की भूमि ख० नं० 435/118 के रोड के लगवा (आगे के भाग) पर कम से कम Oct. 2020 से अस्थाई निर्माण (नींव कुर्सी व बाड़ा) कर रखा है लेकिन निर्माण वैध नहीं है। अत: प्रार्थी को क्षति तो कारित होगी लेकिन अपूरणीय क्षति होगी - ऐसा साबित नहीं होता है। (12 वर्षों से पुराना शांतिपूर्ण व सतत कब्जा साबित नहीं) उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	852 06.08.2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner